

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2025 को आयोजित
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त।

1142-21-5-2

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य गिजनरा अधिकारी, आगरा, अपर जिलाधिकारी (नगराि गरी), आगरा, अधिशारी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा, रागरा राहायका अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री रमिना जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्य गुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश गुप्ता, डीपीएम, मै० रोषा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री बजराला मनीन, पीएम श्री दीपन, डीपीएम और श्री सत्येय यागर इंजी० आदि उपस्थित रहे।

बैठक में साराही स्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्डीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एफको(जे०बी०), पैकेज-०१

भूमिगत जलाराय (CWR) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 10 सीडब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 07 सीडब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएमसी प्लांट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।

2. पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर पर 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि 10 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 07 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

3. पाइप लेइंग - अधिशारी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी० एवं DI Pipe 1802.40 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 148.68 किमी० एवं DI Pipe 1347.82 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 42.71 किमी० एवं DI Pipe 744.16 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा डीजीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि शेष पाइप की आपूर्ति कर ली जाये तथा टीम व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशारी अभियंता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 786.87 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 136.79 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीजीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेंज की समस्या न हो।

5. रोड रेस्टोरेशन- अधिशारी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० को पाइप लाइन विछाने के दौरान डामरीकृत रोड की कटिंग उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित विभाग को पूर्व सूचित करते हुए NOC लेने के उपरान्त ही कार्य कराये। अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियंता/अवर अभियंता, डी०पी०एम० व टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि यह खोदी गयी पाइप लाइन के रेस्टोरेशन में प्रत्येक 30-30 सेमी० पर पानी का छिड़काव कराते हुए कॉम्पेक्शन यंत्र के माध्यम से कॉम्पेक्शन कराकर गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य अपनी देख रेख में पूर्ण करायेगें। इसके साथ ही ज्वाइंट इन्स्पेक्शन कर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। रोड रेस्टोरेशन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

EXHIBIT

MCD Agre\Agre(DWSM)_Final_Minutis of Meeting 18-04-2025

मुख्य विकास अधिकारी
आगरा

6. सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराना- टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करने में शिथिलता बरती जा रही है। जिस पर अध्यक्षताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित को सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गये। यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

1. **अवर जलाशय (OHT) की प्रगति-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 359 ओ0एच0टी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 158 ओएचटी पर 0-25 प्रतिशत, 94 ओएचटी पर 26-50 प्रतिशत, 79 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 28 ओएचटी पर 76-79 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। अध्यक्षताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है शेष 48 ओएचटी पर खुदाई एवं पी0सी0सी0 का कार्य शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग का 55 ओएचटी पर स्लैब डालने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष मात्र 28 ओएचटी पर स्लैब का कार्य ही पूर्ण हो पाया है। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया 3181 के सापेक्ष मात्र 800 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इंजी0 के पीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ायें एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें।
2. **पाइप लेइंग-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6297.47 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3215.53 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अध्यक्षताक्षरी द्वारा डीपीएम मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व-मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. **हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3215.53 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 889.20 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा पीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वाइंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हों।
4. **एच0एच0टी0सी0 की स्थिति-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एच0एच0टी0सी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 74659 एच0टी0सी0 कनेक्शन दिये गये। विगत एक माह से एच0टी0सी0 कनेक्शनों में कोई प्रगति नहीं की जा रही है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की एवं मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देश दिये गये कि मशीनरी व लेबर की संख्या बढ़ाते हुए नल संयोजन की गति को तीव्र कराए। हाउस टैप कनेक्शन को घर के अन्दर तक पहुंचाया जाए एवं स्कूलों, पंचायतों भवनों आंगनबाड़ी केन्द्रों व अन्य सरकारी भवनों पर भी नियमानुसार नल संयोजन कराये जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक दशा में एच0टी0सी0 कनेक्शन घर के अन्दर ही हो।
5. **रोड़ रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड़ की कटिंग जे0सी0बी0 से न कराकर रोड़ कटर से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। डामरीकृत रोड़ की कटिंग उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित विभाग को पूर्व सूचित करते हुए NOC लेने के उपरान्त कार्य कराना सुनिश्चित करे। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम, मै0 मेघा इंजी0 व टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि यह खोदी गयी सड़क के रेस्टोरेशन में प्रत्येक 30-30 सेमी0 पर पानी का छिड़काव कराते हुए कॉम्पेक्टर के माध्यम से कॉम्पैक्शन कराये। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य अपनी देख रेख में पूर्ण करायेगें। रोड़ रेस्टोरेशन मानक के अनुसार सी0सी0, बी0आई0, इन्टरलॉकिंग रोड़ का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए।

6. एनओसी- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै० मेघा इंजी० द्वारा एनओसी के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है यन विभाग में NOC के लिए मै० मेघा इंजी० द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया। अतः मै० मेघा इंजी० को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि यन विभाग की एनओसी तत्काल अप्लाई करें। इसके साथ-साथ अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एनओसी के सम्बन्ध में यह देख लें कि मै० एनसीसी य मै० मेघा इंजी० में आवेदन हेतु यदि कोई एनओसी लम्बित है तो तत्काल अप्लाई करायें।
7. टी०पी०आई० (मै० फिशर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (प्रा०लि०)- अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री रविन्द्र कुमार जैन, डीपीएम, टी०पी०आई० को निर्देशित किया कि समस्त निर्माण कार्यों पर स्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन तथा गुणवत्ता परीक्षण करायें तथा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। निर्माण सामग्रियों का नियमानुसार प्रयोगशाला में पायी जाने पर टी०पी०आई० पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) भी सतर्क दृष्टि रखें तथा समय-समय पर अवगत कराते रहें।
8. सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराना- अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीएम मेघा इंजी० को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि सुरक्षा मानकों को पालन नहीं किया गया तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

1. सी०डब्ल्यू०आर० एवं शिरोपरि जलाशय की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये।
2. ग्राम पंचायतवार/राजस्व ग्रामवार रोड रेस्टोरेशन का डाटा उपलब्ध कराया जाये।
3. कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की टैस्टिंग एवं रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाये।
4. मै० मेघा इंजी० को शिरोपरि जलाशय के निर्माण कार्य में कम मेन पॉवर होने के कारण नोटिस निर्गत किया जाये।
5. टी०पी०आई० द्वारा लगायी गयी नॉन कम्प्लाइंस एवं निस्तारण का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
(जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।

पत्रांक 521 / जलशाक्ति /

दिनांक 30/04/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिल्लाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ।
3. समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, आगरा।
4. डी०जी०एम०, मैसर्स एनओसी० एपको (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेघा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव